# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

*अपील प्रकरण क्रमांक 1231/2008*

1. श्री उत्तम कुमार मारकण्डेय, — *अपीलार्थी*
निवासी वार्ड नंबर–57, कातुलबोर्ड,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय थाना प्रभारी, कोतवाली थाना,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

*//आदेश//*
*(दिनांक 30 मार्च, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी उत्तम कुमार मारकण्डेय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, राजनांदगांव के समक्ष दिनांक 25.08.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर दिनांक 06.10.2008 तक जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 07.11.2008 को जानकारी दी गई, किन्तु उक्त जानकारी को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.11.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी/थाना प्रभारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 20.03.2009 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो जानकारी उपलब्ध थी, वह समस्त जानकारी दिनांक 10.11.2008 को नगर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दी गई है और सुश्री दुर्गेश्वरी शुक्ला, उप निरीक्षक, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, राजनांदगांव भ्रमित होने के कारण जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करा पाई । प्रकरण में मौखिक तर्क में एक बिन्दु पर जानकारी के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद रहा कि जो मूल तलाकनामा बताया गया है, वह थाना प्रभारी ने जब्त किया था, किन्तु उसकी रसीद नहीं दी थी और वे अब उपलब्ध नहीं होना बता रहे हैं तथा उसकी प्रति उन्हें नहीं दी गई । थाना प्रभारी ने यह बताया कि आवेदक ने एक कथन में स्टाम्प पेपर में लिखा–पढ़ी की ओरिजनल कापी अपने पास बताया, किन्तु मौखिक तर्क में यह कहा कि ओरिजनल कापी उप निरीक्षक ने कथन के बाद उनसे ली है और उसकी पावती नहीं दी है । अतः उपरोक्त स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद होने के कारण उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को निर्देश दिये जाते हैं कि सुश्री दुर्गेश्वरी शुक्ला, उप निरीक्षक, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, राजनांदगांव द्वारा इस प्रकरण में विलंब किया गया है, अतः उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी, थाना प्रभारी, कोतवाली थाना तथा उप निरीक्षक, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ को समक्ष में बुलाकर उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर इस संबंध में जॉच करें कि क्या कोई मूल दस्तावेज बिना पावती के जब्त किये गये हैं तथा जॉच के पश्चात् जिस निष्कर्ष पर पहुँचे

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उसकी जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में आवेदन में कुछ बिन्दुओं की जानकारी प्रश्न के रूप में चाही गई है, उसके बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी दिया जाना संभव नहीं है और अपीलार्थी को चाहिए कि इस संबंध में वे अपने अभिभाषक से परामर्श कर उन्हीं से जानकारी प्राप्त करें । चूंकि प्रकरण में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 200/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com